जनजातीय विकास की चुनौतियों एवं मुद्दे: राजस्थान के विशेष संदर्भ में

श्रीमती इन्दु आसेरी,

सह आचार्य अर्यशास्त्र,

राजकीय महाविद्याल आबु रोड़ जिला– सिरोही

साराशं –

वर्तमान में आदिवासी जनजाती समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। देश के सम्पूर्ण विकास में सभी समुदायों का सहयोग आवश्यक है, किसी एक समुदाय को छोड़कर देश का समग्र विकास नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवीय विकास का चक्र निरन्तर चलता रहता है। समाज का कर्तव्य है कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी–सम्पन्न जीवन–यापन करें। इस के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की अनेक मानव जातियों ने विकास का कदम एक साथ रखा जिसमें से कुछ मानव जातियों ने अपना विकास परिष्कृत रूप से किया और आधुनिक प्रजातियों में आ गये। किन्तु आधुनिक युग में अनेक आदिम जाति विलुप्त हो गईं या विलुप्त होने के कगार पर है, किन्तु भारतीय आदिम जनजाति ने अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखा है जो कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता है।

शब्द संकेत – आदिवासी जनजाती, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास

परिचय –

वर्तमान में समाज के अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार होता है तथा उन्हें स्वतन्त्रा रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकास के परिणामों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। इन्हें अभावग्रस्त समूह कहा जाता है।सामाजिक जीवन में उर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए सभी लोगों की विकास के परिणामों तक पहुँच तथा उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। भारत में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने का लक्ष्य अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। भारत में सामाजिक विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास करना तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। कुछ ऐसे समूह हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ, अल्पसंख्यक वर्ग आदि। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.2% , अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.2% है। जबकि महिलाएँ भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है।

सामाजिक–आर्थिक विकास –

सामाजिक–आर्थिक विकास का अर्थ समझने के लिए पहले विकास को परिभाषित करते है। प्रायः एक राज्य में जो सुधार व सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं उन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन विकास की अवधारणा को विभिन्न सन्दर्भों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा और साहित्य में अलग–अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ में विकास से अभिप्राय बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों की

जीवन–शैली में सुधार से है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

सामाजिक विकासः सामाजिक विकास वह है जो सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन व बदलाव कर समाज की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार करता है। सामाजिक विकास का सम्बन्ध समाज निर्माण में गुणात्मक परिवर्तन, लोगों का प्रगतिशील दृष्टिकोण और व्यवहार, प्रभावी प्रक्रियाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से है।

आर्थिक विकासः आर्थिक विकास की अवधारणा विस्तृत अवधारणा है। आर्थिक विकास से आशय अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन से है। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय आय के वितरण में वांछित परिवर्तन से तथा अन्य तकनीक व संस्थागत परिवर्तन होता है । आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास नही है, इसमें यह देखना होता है कि एक देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की यात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप उस देश के नागरिकों के रहन–सहन के स्तर वृद्धि हुई या नहीं। आर्थिक वृद्धि के समय गरीबी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, बेरोजगारी आदि में क्या–क्या परिवर्तन हुये । किसी देश या क्षेत्र में रह रहे लोगों के हित में आर्थिक सम्पत्ति के संवर्धन को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास के स्तर का संकेतक माना जाता है। 'आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध राष्ट्रीय, आय, सकल घरेलू उत्पाद या प्रतिव्यक्ति आय में प्रगति से है। दीर्घकालिक आर्थिक विकास से अभिप्राय एक राष्ट्र द्वारा अपने लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को पूरा करने से है।

जनजातीय लोगों के सामाजिक–आर्थिक और समग्र विकास के लिए विशेष प्रावधानों और सुरक्षा उपायों भारत के संविधान में प्रदान किया गया है और कुछ पहल भी जनजातीय उप योजना (टीएसपी) रणनीति सहित, भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जनजातीय उप योजना (टीएसपी) रणनीति जनजातीय लोगों का तेजी से सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उद्देश्य से किया गया था। राज्य के जनजातीय उप योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कम से कम बराबर होना चाहिए। इसी तरह केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को भी जनजातीय उप–योजना के लिए अपने बजट से बाहर धनराशि निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, जनजातीय उप योजना के धन गैर divertible और अव्यपगत हो रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भाग लेने और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सलाह देने के लिए, और संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कर्तव्य साथ निहित है।

सामाजिक–आर्थिक विकास विभिन्न आयामों में सुधार की प्रक्रिया है। यह देश में मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख संकेतक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आर्थिक कल्याण के एक विशिष्ट उपाय है लेकिन यह अवकाश के समय, पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वतन्त्राता, सामाजिक न्याय या लैंगिक समानता जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं देता। यह देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आनन्द, अवसर तथा स्वतन्त्राता के लाभ पर जोर देता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण–

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तीकरण देश में व्याप्त सामुदायिक और क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक माना गया। भारत के संविधान में इन समूहों के विकास के लिए अनेक प्रावधान और कई वचनबद्धताऐं व्यक्त की गई हैं। इन संवैधानिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने तीन तरफा रणनीति अपनाई है–

1. आर्थिक सशक्तीकरण
2. सामाजिक सशक्तीकरण, और
3. विषमता दूर करने के लिए सामाजिक विषमता का उन्मूलन, शोषण की समाप्ति तथा इन अभावग्रस्त वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना।

भारत में 2011 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि देश में कुल आबादी का 8.2 प्रतिशत आदिवासी हैं जिनकी जनसंख्या 83,326,24 है। आदिवासी देश के लगभग 19 प्रतिशत भाग में निवास कर रहे हैं जिनके लगभग 500 समुदाय है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति 4 द्वारा 46 अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है जो इस प्रकार है– अगरिया, आन्ध्र, बैगा, भरिया, भामिया, भूमिया, पांडो, भूनिहार, पालिका, भतरा, बिअर, बियार, बिंझवार, बिरहुल, बिरहोर, दामोर, दामेरिया, धनवार, गड़ावा, गड़वर, भंहोला, भिम्मा, भता, कोइल भूता, कोईल भूटी, भार बाइसन, हार्न, माडिया, छोटा माडिया, हल्वा, कगार, कोरकू, कंवर, खड़िया, खेरवार, कोल, कोरकू मांझी, मवासी, मीणा आदि।

सामाजिक आर्थिक विकास को शिक्षा, आय, कौशल विकास, रोजगार आदि में सुधार के कारण जीवनशैली में आए बदलाव के रूप में देखा जाता है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित आर्थिक व सामाजिक बदलाव है। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उच्च श्रेणी की सुविधाएँ उपलब्ध है जबकि कई अन्य क्षेत्रों में आधारभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस प्रकार की भिन्नताओं को क्षेत्रीय विषमता कहा जाता है। मानव विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार तथा उनके लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने को कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मनुष्य जीवन के सभी आयाम या पक्ष जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी आ जाते हैं। इस प्रकार मानव विकास में आय कई घटकों में से एक घटक है। मानव विकास सूचकांक (एच डी आई) के तीन घटक होते हैं, दीर्घ व स्वस्थ जीवन, ज्ञान, रहन–सहन का उत्तम स्तर। 2007–08 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 177 देशों में से 128 के पायदान पर था। भारत को मध्यम स्तर के देशों के समूह में सबसे निम्न स्थान पर रखा गया था। भारत में जनसंख्या का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे समाज के अभावग्रस्त वर्ग में रखा जा सकता है। हम इन वर्गों को अभावग्रस्त समूह में इसलिए रखते हैं कि उनके साथ आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से भेदभाव होता है तथा वे स्वतन्त्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बन सकते। ऐसे कुछ समूह हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाएँ आदि।

जनजातीय विकास की चुनौतिया –

जनजाति से आशय उस सामाजिक समूह से है, जिसमें एकता की भावना हो, रक्षा की आवश्यकता हो, धर्म एवं राजनीतिक संगठन हो, गोत्रों का अलग अस्तित्व हो, एक सामान्य धर्म जनजातियों को अनेक नामों से जाना जाता है इन्हें आदिवासी आदिम, पर्वतीय जनजातियों एवं देश के मूलनिवासी आदि नामों से सबंधित किया है, किन्तु भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजातियों का नाम दिया गया है। आज की भी वास्तविता यह है कि विद्या, अर्थ तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से देश में विभिन्न स्तरों

की सक्षमताओं का बोलबाला है। आजादी और संविधान ने सब लोगों की इच्छायों को बढ़ा दिया है और सदियों से चले आ रहे आदिवासी पिछड़ेपन को आज मोबाइल युग में ला खड़ा किया है। पढ़े–लिखे लोग दौड़–भाग करके, चिट्ठी–पत्री, सम्पर्क सूत्र एकत्र कर अपना काम बना लेते हैं परन्तु आदिवासियों को इस सब के लिए मदद की जरूरत होती है। पढ़े–लिखे लोगों के पास शिक्षा, सूचना और भाषा का अस्त्र होता है, परन्तु आदिवासियों के पास वह नहीं होता रहा है। इनका भौगोलिक क्षेत्र विषम पहाड़ी या दुर्गम स्थल है, यहां अधोसंरचना बिछाना कठिन काम होता है, यहां खदानों या वनो के उत्पाद ही मजदूरी का महत्वपूर्ण केन्द्र होते हैं, यहां जनसंख्या विरली होती है, स्कूल–कॉलेज, तकनीकी शिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, दैनिक वस्तुओं के बाजार व अन्य व्यावसायिक बैंक और सिनेमाघर, पुस्तकालय या क्लब जैसी जगहें न के बराबर होती है। अतः स्वाभाविक है कि अक्सर वे लोग जैसे रहते चले आ रहे थे, वैसे ही रहे आयेंगे, जब तक कि उन्हें आगे बढने के लिए विशेष सहायता, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन न मिले। जनजातीय विकास की प्रमुख चुनौतिया निम्न है –

प्रोत्साहन की चुनौती –

पढ़े–लिखे वर्ग की यह कमजोरी होती है कि वह बड़ा स्वार्थी होता है जब भी उसकी पदस्थापना आदिवासी इलाकों में की जाती है, वह उस क्षेत्र के दूरस्थ होने से डर कर वहां जाता नहीं है और येन–केन बड़े शहरों में ही बने रहने के लिए कोशिश करता रहता है। जैसा आजकल देखने में आता है की सरकार हार्डवेयर (बिल्डिंग, रोड, मशीनें, गाडियां) तो दे सकती है, आरक्षित नौकरियों को चिन्हित कर सकती है, परन्तु मनुष्य रूपी साफ्टवेयर नहीं दे पाती जो कि एक उत्प्रेरक, मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर सके। स्कूलों में शिक्षकों का अभाव, अस्पतालों में डॉक्टरों का, विशेषज्ञों का और अन्य तमाम स्थलों में समर्पित स्टाफ का अभाव खलता रहता है।

स्वास्थ्य की चुनौती –

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के अवसर है चूंकि इस क्षेत्र में नशा–शराब व तम्बाकू बहुत अधिक है तथा कुपोषण से एनीमिया, एवं वनों में रहने के कारण मच्छरों के काटने से मलेरिया तथा हाथीपांव व जानवरों के काटने से अन्य रोग भी संभव हैं। खनिज प्रधान क्षेत्रों में न्यूमोकोनियेसिस नाम की फेफड़ों की घातक बीमारी, विकलांगता व दुर्घटना का शिकार होने की स्थिति भी आती है। इन क्षेत्रों में जल भी दूषित होता है।

कई जातियों में काफी कष्टकर व हानिकारक प्रथायें चली आ रही हैं। इनमें एक है, जिसमें प्रसव घर के पास एक अन्य झोपड़ी में होता है, जिसमें केवल स्त्री तथा दाई ही होते हैं तथा बच्चे के जन्म के बाद स्त्री को लगभग 3–4 दिन तक भूखा ही रखा जाता है। माता का शुरु दिन का पौष्टिक दूध उसे पिलाने की प्रथा ही नहीं है। बाद में भी माता को उपयुक्त पोषण नहीं मिलता नतीजन बच्चा कमजोर रहता है। कहते है कि माता का दूध पीने वाला बच्चा अधिक बुद्धिमान निकलता है। परन्तु आदिवासी समाज को यह पता नहीं है। यहां 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की बाल मृत्यु दर सामान्य से दुगुनी है।

शिक्षा की चुनौती –

2011 की जनगणना में कक्षा एक से दसवीं तक बीच में पढ़ाई छोडने वालों (ड्राप आऊट) का दर सामान्य लडकों को यदि 50 प्रतिशत था तो आदिवासियों का 70 प्रतिशत। आदिवासी लड़कियों की दर लडकों से 24 प्रतिशत अधिक था। यह कमी आगे की (उच्चतर) शिक्षा पर भी अपना दुष्प्रभाव डालती है, अर्थात अनु. जनजाति छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं, फिर भी यदि वे शैक्षणिक अर्हता ही नहीं रखते तो उनका प्रवेश असंभव है। यही स्थिति साक्षरता की भी है। पिछले दशक में सभी सामाजिक समूहों की

साक्षरता 64 प्रतिशत थी, जबकि अजजा की 47 प्रतिशत। 2011 में वह सभी के लिए बढकर 72 प्रतिशत हुई और अजजा के लिए 58। अर्थात शेष से 14 प्रतिशत कम। यदि साक्षरता ही बढ़ जाय, तो एक मार्ग यह खुलता है कि देवनागरी लिपि में किन्तु स्थानीय भाषा में, लोगों को उनके स्वास्थ्य आदि सुधारने के लिए कुछ साहित्य दिया जा सकता है, ताकि वह साहित्य दूराचंलों में भी जा सके। परन्तु साक्षरता के अभाव में प्रदेश या देश की भाषा में आदिवासी समुदाय या अनु. जनजाति के सामान्य लोगों से सरकारी अमला सीधी बात नहीं कर पाता। यद्यपि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस समस्या का आंशिक हल मिलता है। समूह में कोई न कोई दुभाषिया मिल ही जाता है।

वित्तीय साक्षरता की चुनौती –

आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं को अपने पारंपरिक गुणों जैसे, नजाकत, लज्जा, भय, संकोच और गृहस्थी से हटकर थोडा खुली हवा में भी सांस लेना सीखना होगा। अर्थात महिलाओं को अपने भारतीय उच्च आदर्शो को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए भी नये आर्थिक पहलुओं पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। वित्तीय साक्षरता भारत की उन महान नारियों के लिए नहीं है जो आज उद्योग तथा व्यापार जगत में अपनी पहचान बना चुकी हैं और न ही उन महिलाओं के लिए है जो सत्ता की सीढी के चरम पर हैं या उच्च पदों पर आसीन हैं। यह संकल्पना तो उन कोटि–कोटि ग्रामीण , मध्यम वर्गीय अथवा निम्न मध्यम वर्गीय उन नारियों के लिए है जो जीवन से संघर्ष कर रही हैं। सीमित साधनों से जिन्हें गुजर बसर करनी होती है। वस्तुतः जिस दिन भारत की वे नारियां आर्थिक दृष्टि से सशक्त होगी उस दिन हमारा भारत विश्व की श्रेष्ठ आर्थिक शक्ति बन जाएगा।

जनजातियों विकास की समस्याओं का हल –

संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति –जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिये 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

इसका परिणाम यह है कि जनजातियों की साक्षरता दर 1961 में लगभग 10.3% थी वहीं साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी।

शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु यह जरूरी है कि आदिवासियों के लिये सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंधन भी जरूरी है। उनके लिये पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके।

वित्तीय साक्षरता समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं को अपने भारतीय उच्च आदर्शो को अक्षुण बनाये रखते हुए नये आर्थिक पहलुओं पर भी चिंतन करना चाहिए। वित्तीय साक्षरता से नारियां उद्योग तथा व्यापार जगत में अपनी पहचान बना सकती हैं।

आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि देने तथा स्थानांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से उन्हें अवगत कराना भी एक विकल्प है।

इन प्रयासो के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है लेकिन शासन के कार्यों में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। योजनाओं का लाभ जनजातियों तक पहुँचे इस हेतु प्रयास करना होगा।

संदर्भ सूची –

1. दीक्षित कुमार डॉ. ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाला अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ. 3
2. दीक्षित कुमार डॉ. ध्रुव, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर पृ. 3
3. दुबे, श्यामाचरण, आदिवासी भारत, राजकमल प्रकाशन, देहली, पृ. 10–11
4. खाखा वर्जीनियस, योजना, संवैधानिक प्रावधान, कानून और जनजातियां,–जनवरी 2014, पृ. 7 2
5. कुमार ध्रुव डॉ. दीक्षित, समाजशास्त्र, अनुसूचित जनजाति, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी इंदौर 2014, पृ. 2
6. शर्मा डॉ. श्रीनाथ, जनजातीय समाज, मध्यप्रदेश हिन्दी गंथ अकादमी भोपाल वर्ष 2015 पृ. 12
7. शर्मा, डॉ. श्रीनाथ, जनजातीय समाज, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2015, पृ.1